

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 17 / 2023

थानाधिकारी पुलिस थाना रुदावल जिला भरतपुर.

.....प्रार्थी0

बनाम

श्री फारुक पुत्र नूर मोहम्मद उम्र 35 साल जाति मेव (मुसलमान) निवासी ग्राम अशरफ का वास कुलताजपुर पुलिस थाना तिजारा जिला अलवर हाल वाहन मालिक ट्रक आरजे 29 जीए 9792

.....अप्रार्थी0



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा. 6(ए) वावत एफ.आई.आर न. 486/2022 धारा 3,5/8 में जप्त वाहन के वावत।

उपस्थित :-

- 1-ए0पी0पी0 पैरोकार सरकार प्रार्थी,
- 2-श्री मुकीम खान, अभिभाषक अप्रार्थी,

निर्णय

दिनांक 07.02.2024

प्रार्थी थानाधिकारी, पुलिस थाना रुदावल, जिला भरतपुर ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6(ए) पेश किया गया, जो संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचना रिपोर्ट दिनांक 11.11.2022 को ग्राम जोतरोली से आगे जटमासी रोड पर पहुंचे जहाँ पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही थी। रोड के दाहिनी तरफ थोड़ी दूरी पर कच्चे रास्ते में एक ट्रक नम्बर आरजे 29 जीए 9792 फँसा हुआ मिला जिसका निरीक्षण किया तो ट्रक का पीछे का डाला खुला हुआ मिला एवं ट्रक में अन्दर गौ मूत्र व मल पड़ा हुआ है एवं ट्रक के पीछे ही दो गाय मृत अवस्था में पड़ी हुयी मिली और ट्रक के पीछे गायों के उतरने के निशानात है मौके पर उपस्थित लोगों ने बताया कि पुलिस उक्त ट्रक में से गाय उतरकर जंगल की तरफ भाग गयी है। जिससे साफ जाहिर है कि उक्त ट्रक में अज्ञात गौ तस्करो के द्वारा गाय भरतकर गौ तस्करी के लिये ले जायी जा रही थी

.....2



(2)

प्रा०पत्र / 17 / 2023

थाना अधिकारी रुदावल बनाम फारुक

लेकिन ट्रक के कच्चे रास्ते में फँसने के कारण गौ तस्करों के द्वारा ट्रक व गौवंश को मौके पर ही छोड़ा गया है। अज्ञात गौतस्करों का यह कृत्य अपराध धारा 3,5/8 आरबीए एक्ट की तारीफ में आना पाये जाने पर अज्ञात गौतस्करों द्वारा मौके पर छोड़ गये वाहन ट्रक नम्बर आरजे 29जीए 9792 को वतौर वजह सबूत जरिये फर्द जप्ति जप्त किया गया एवं मृत पडी गायों को जरिये फर्द जप्ति कब्जा पुलिस में लिया जाकर मौके पर ही मृत गायों की पंचनामा पशु चिकित्सक द्वारा पोस्टमार्ट की कार्यवाही करायी जाकर मृत गायों को नियमानुसार दफनाये जाने हेतु ग्राम पंचायत जोतरोली संरपच प्रतिनिधी श्यामसिंह को सुपर्द कर दफनाया गया। अन्त में प्रार्थना की गई है कि प्रार्थना पत्र धारा 6ए स्वीकार किया जाकर जप्त शुदा वाहन ट्रक नम्बर आरजे 29जीए 9792 व चैसिस नम्बर MAT 466665JSG26587 राजसात किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक उपस्थित आये अप्रार्थी की ओर से उन्हें प्रार्थना पत्र प्रकरण धारा 6ए गौवंश अधिनियम की नकल दी गई, अप्रार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र धारा 6ए का जबाब पेश नहीं कर सीधे बहस करने की प्रार्थना की गई। अभिभाषक अप्रार्थी ने अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी सरकार ओर से ए.पी.पी. ने अपनी बहस में हमारा ध्यान थानाधिकारी द्वारा प्रस्तुत पत्रादि की ओर आकर्षित करते हुये बताया कि पुलिस थाना अधिकारी द्वारा गौवंश अधिनियम में ट्रक आरजे आरजे 29जीए 9792 को मौके से जप्त किया गया। सहायक लोक अभियोजक ने बताया कि पुलिस अनुसंधान वयानात गवाहन लेखबद्ध किये गये जो शामिल पत्रावली हैं पूछताछ में अप्रार्थी के विरुद्ध धारा 5/8 आरबीए का पाया गया है। प्रार्थना पत्र धारा 6ए गौवंश अधिनियम स्वीकार किया जाकर जप्त वाहन को राजसात किया जावे।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने बताया कि अप्रार्थी जप्त वाहन का एकमात्र पंजीकृत स्वामी है पुलिस थाना रुदावल ने प्रार्थी के उक्त वाहन को नाजायज रूप से गौवंशीय पशु अधिनियम में जप्त कर लिया है एफआईआर के मुताबिक जप्त वाहन में गौवंश नहीं मिला है गौवंश का परिवहन करने का आरोप झूठा है। एफआईआर में ऐसा कोई आरोप नहीं है कि किस जगह गौतस्करी के लिये गौवंश ले जाया जा रहा था। अतः वाहन प्रार्थी को रिलीज किया जावे।

(3)


प्रा0पत्र/17/2023

थाना अधिकारी रुदावल बनाम फारुक

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6(ए) का अध्ययन किया गया।

उक्त अधिनियम की धारा 6 Transporter to be abettor:-

".....Whenever the bovine animals are transported by any means of transport in furtherance of the object of commission of any offence under this Act, the transporter shall be guilty of abetment of the said offence and shall be liable for the same punishment as is provided under section 8 of the Act for person committing the said offence....."



The Rajasthan Bovine Animal (Prohibition of Slaughter and Regulation of Temporary Migration or Export) ACT 1995 की धारा 11 :-

"Burden of proof :- When any person is prosecuted for an offence under the provisions of this Act, the burden of proof that he had not committed the offence under the provisions of this Act shall be on him."

पत्रावली में उपलब्ध पत्रादि के अवलोकन से जाहिर है कि पुलिस थाना अधिकारी थाना रुदावल को मिली सूचना पर मौके पर जाकर दिनांक 11.11.2022 को ग्राम जोतरौली से आगे जटमासी रोड पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा मिली रोड के दाहिनी तरफ थोड़ी दूरी पर कच्चे रास्ते में एक ट्रक नम्बर आरजे 29 जीए 9792 फँसा हुआ मिला जिसका निरीक्षण करने पर ट्रक का पीछे का डाला खुला हुआ मिला एवं ट्रक में अन्दर गौ मूत्र व मल पड़ा हुआ है एवं ट्रक के पीछे ही दो गाय मृत अवस्था में पड़ी हुयी मिली और ट्रक के पीछे गायों के उतरने के निशानात है मौके पर उपस्थित लोगों ने बताया है कि पुलिस उक्त ट्रक में से गाय उतरकर जंगल की तरफ भाग गयी है। जिससे साफ जाहिर है कि उक्त ट्रक में अज्ञात गौ तस्करो के द्वारा गाय भरतकर गौ तस्करी के लिये ले जायी जा रही थी लेकिन ट्रक के कच्चे रास्ते में फँसने के कारण गौ तस्करो के द्वारा ट्रक व गौवंश को मौके पर ही छोड़ा गया है। अज्ञात गौतस्करो का यह कृत्य अपराध धारा 3,5/8 आरबीए एक्ट की तारीफ में आता है। इस प्रकार प्रार्थी थाना अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 6ए गौवंश अधि0 के साथ प्रस्तुत नकल एफ.आई.आर., फर्द जप्ती मृतक गौवंश,

.....4

(4)

प्रा0पत्र/17/2023

थाना अधिकारी रुदावल बनाम फारुक

जप्ती वाहन, फर्द पुछताछ, फर्द मौका नक्शा एवं वयान मौका गवाहन से यह निर्विवाद है कि जप्त वाहन संख्या ट्रक नम्बर आरजे 29 जीए 9792 गौंश तस्करी परिवहन में लिप्त पाया गया है।

उपरोक्त विवेचन से यह निर्विवाद है कि जप्त ट्रक नम्बर आरजे 29 जीए 9792 गौवंशीय पशु को गौवध के लिये परिवहन में लिप्त पाये जाने पर जप्त किया गया है। राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6(ए) अधिनियम की धारा 6(ए) के तहत उक्त जप्त वाहनों को राजसात (confiscate) किया जाना उचित पाते हैं।

अधिनियम की धारा राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6ए का अवलोकन किया गया :-

3- Insrtion of new section 6-A, Rajasthan Act No. 23 of 1995- After the exisstiog section 6 and before the existiog section 7 of the principal Act the following new section shall be inserted,namely : 6-A Confiscation of the means of conveyance-(1) Whenever an offence punishable under this Act is committed, any means of conveyance used in the commission of such offence shall be liable to confiscation.....Provided also that before ordering confisction under this sub-section(1), may be given an option to pay, in lieu of confiscation, a fine not exceeding the market price of such means of conveyance.

अतः उक्त अधिनियम की धारा 6(ए) के तहत जप्त ट्रक नम्बर आरजे 29 जीए 9792 पर राशि 200000/- (दो लाख रुपये) जुर्माना (Fine) कायम की जाना उचित पाते हैं। नियमों के प्रावधानों के अनुसार जुर्माना राशि 30 दिवस में जमा नहीं कराने पर जप्त वाहन को राजसात (confiscate) किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :-

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 धारा 6(ए) स्वीकार किया जाता है। अधिनियम की धारा 6(ए)(1) में दिये गये प्रावधान को मध्य नजर रखते हुये जप्त ट्रक नम्बर आरजे 29 जीए 9792 को राजसात (confiscate) किये जाने से पूर्व वाहन मालिक प्रार्थी को विकल्प दिया जाता है कि वे 30 दिवस के अन्दर वाहन पर जुर्माना (Fine) राशि 200000/- (दो लाख रुपये),

.....5


(5)

प्रा०पत्र / 17 / 2023

थाना अधिकारी रुदावल बनाम फारुक

राजकोष में जमा करादें तो वाहन को सम्वन्धित मालिक को रिलीज किया जावे। बाद गुजरने म्याद उक्त जप्त वाहन स्वतः ही राजसात (confiscate) हो जायेगा। निर्णय की प्रति भारसाधक पदाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली भरतपुर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।


(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

